

समाहरणालय, मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

--आदेश--

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या-51(आ0), दिनांक 16.12.2014 द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-29, दिनांक 02.12.2014 के क्रम में योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के 3106-सहायक अनुदान- देतनादि के अलावा, के अन्तर्गत ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को भवन किराया के रूप में विभाग द्वारा अधिसूचित कुल 54(चौवन) ग्राम कचहरी के किराया भवनों के लिए प्राप्त कुल राशि 432000.00 रुपये को जिला के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए व्यय करने हेतु निम्न प्रकार उपावृत्त किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	किराये पर लिए गये भवनों की संख्या	किराये पर लिए गये भवनों के लिये राशि		कुल राशि	अभ्युक्ति
			500.00 रुपये की दर से 08 (आठ) माह के लिए	1000.00 रुपये की दर से 04 (चार) माह के लिए		
1	घैलाढ़	3	12000.00	12000.00	24000.00	
2	सिंहेश्वर	1	4000.00	4000.00	8000.00	
3	शंकरपुर	7	28000.00	28000.00	56000.00	
4	गम्हरिया	3	12000.00	12000.00	24000.00	
5	मुरलीगंज	8	32000.00	32000.00	64000.00	
6	कुमारखंड	5	20000.00	20000.00	40000.00	
7	ग्वालपाड़ा	7	28000.00	28000.00	56000.00	
8	बिहारीगंज	4	16000.00	16000.00	32000.00	
9	पुरैजी	4	16000.00	16000.00	32000.00	
10	उदाकिशुनगंज	10	40000.00	40000.00	80000.00	
11	आलमनगर	2	8000.00	8000.00	16000.00	
	कुल योग:-	54	216000.00	216000.00	432000.00	

(मो0 चार लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र)

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 6720, दिनांक 25.07.2014 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- उपावृत्त राशि सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा निकासी कर ग्राम कचहरी के खाते में जमा किया जायेगा एवं राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/ उपसरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी उपावृत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- आवृत्त राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच-पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर शीर्ष आदि, ईकाइयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- वित्तीय नियमावली, बजट मेनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-एन 2515008000112 है।

20/-  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 796/पं0, मधेपुरा, दिनांक 22.12.14/2014

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/12/14  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।